कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 41/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 29.01.2026

जनपद – आजमगढ़ | थाना कप्तानगंज

थाना कप्तानगंज पुलिस से मुठभेड़ में अंतर्जनपदीय जहरखुरानी-नकबजनी गिरोह का पर्दाफाश, 01 घायल व 02 अभियुक्त गिरफ्तार

अभियुक्तों के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस व "जहरखुरानी, झपट्टामारी एवं नकबजनी के मामलों में प्रयुक्त हथियार व चोरी का सामान बरामद"

घटना का संक्षिप्त विवरण :-

दिनांक 28.01.2026 को थाना कप्तानगंज पुलिस द्वारा क्षेत्र में शांति व्यवस्था, वांछित अभियुक्तों की तलाश एवं संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि जहरखुरानी, झपट्टामारी एवं नकबजनी की घटनाओं में संलिप्त अभियुक्त गौरा पुलिया के पास किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में मौजूद हैं।

सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल घेराबंदी की गई। इस दौरान बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई, जिस पर पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ नियंत्रित जवाबी कार्रवाई की गई। मुठभेड़ में 01 अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगने से घायल हो गया।

पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए उसके साथ के 02 अन्य अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार किया गया, जबकि 02 अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। मुठभेड़ में घायल अभियुक्त को तत्काल उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है।

गिरफ्तार/घायल अभियुक्तों का विवरण :-

घायल अभियुक्त :-

01. अमन निषाद पुत्र हनुमान निषाद, निवासी ग्राम डाही शम्भूपुर, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 21 वर्ष। (मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल)

गिरफ्तार अभियुक्त :-

02. आनन्द उर्फ बाबी पुत्र हनुमान निषाद, निवासी ग्राम डाही शम्भूपुर, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 23 वर्ष।

03. अमन निषाद पुत्र दशमी निषाद, निवासी ग्राम अलौवा, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 20 वर्ष।

➡ "घटनास्थल पर फील्ड यूनिट द्वारा नियमानुसार आवश्यक साक्ष्य संकलन एवं अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।"

➡ फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों द्वारा दबिश दी जा रही है।

पूछताछ का विवरण :-

पूछताछ के दौरान अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वे थाना कप्तानगंज एवं थाना अहरौला क्षेत्र में घटित विभिन्न आपराधिक घटनाओं में संलिप्त रहे हैं। अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि दिनांक 24.01.2026 को ग्राम भवानीपट्टी में नशीला पदार्थ खिलाकर एक महिला से सोने का आभूषण झपट लिया गया था। इसके अतिरिक्त दिनांक 25/26.01.2026 एवं 27.01.2026 की रात्रि में थाना कप्तानगंज एवं अहरौला क्षेत्र के अंतर्गत स्थित दुकानों/प्रतिष्ठानों में सेंध लगाकर नकदी एवं विभिन्न सामानों की चोरी की गई थी।

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण-

➡ दिनांक 24.01.2026 को अभियुक्तों अमन निषाद पुत्र हनुमान निषाद, आनन्द उर्फ बाबी पुत्र हनुमान निषाद एवं अंकित निषाद पुत्र हनुमान निषाद द्वारा ग्राम भवानीपट्टी में एक महिला एवं अन्य व्यक्तियों को लड्डू में नशीला पदार्थ मिलाकर खिलाया गया। नशीले पदार्थ के प्रभाव में आने पर महिला के नाक से सोने की कील झपट ली गई तथा अभियुक्त मौके से फरार हो गए। इस संबंध में थाना कप्तानगंज पर मु0अ0सं0 32/2026 धारा 123/304 बीएनएस पंजीकृत है।

➡ दिनांक 25/26.01.2026 की रात्रि में अभियुक्तों अमन निषाद पुत्र हनुमान निषाद, आनन्द उर्फ बाबी पुत्र हनुमान निषाद एवं रवि कुमार पुत्र दाढ़ी द्वारा हेतुगंज बाजार स्थित एक दुकान में सेंध लगाकर नकदी, साबुन, तेल, सिगरेट, दाल, काजू-बादाम आदि सामान चोरी किया गया। चोरी की गई नकदी को आपस में बांटकर अधिकांश राशि खाने-पीने व मौज-मस्ती में खर्च कर दी गई।

इस संबंध में थाना कप्तानगंज पर मु0अ0सं0 33/2026 धारा 331(4)/305 बीएनएस पंजीकृत है।

➡ दिनांक 27.01.2026 की रात्रि में अभियुक्तगण अमन निषाद पुत्र हनुमान निषाद, आनन्द उर्फ बाबी पुत्र हनुमान निषाद एवं रवि कुमार पुत्र दाढ़ी द्वारा थाना अहरौला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भईसा तुरपाटी में एक किराना दुकान का ताला तोड़कर एक बोरी अरहर की दाल, सरसों का तेल एवं रिफाइंड आयल चोरी किया गया, जिसे आपस में बांटकर कुछ सामान झाड़ियों में छिपा दिया गया था।

इस संबंध में थाना अहरौला पर मु0अ0सं0 20/2026 धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरण :-

- 01 अदद देशी तमंचा 12 बोर
- 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर
- 01 अदद खोखा कारतूस 12 बोर
- नकबजनी के औजार – पेचकस, हथौड़ी, पिलास
- एक अदद नाक की कील
- साबुन, सिगरेट, सर्फ पाउडर
- लगभग 10 किलो अरहर की दाल
- रिफाइंड आयल एवं सरसों का तेल चोरी से संबंधित ₹5300/- नगद

विधिक कार्यवाही :-

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध धारा मु0अ0सं0 35/2026 धारा3(5)/109(1)बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास का विवरण:-

अमन निषाद पुत्र हनुमान निषाद, निवासी ग्राम डाही शम्भूपुर, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 21 वर्ष। (मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल)

01. मु0 अ0 स0 95/2018 धारा 323/452/504/506 भादवि थाना अहरौला आजमगढ़
2. मु0 अ0 स0 185/2020 धारा 323/504/506 भादवि थाना अहरौला आजमगढ़
3. मु0 अ0 स0 434/2022 धारा 380/411/457 भादवि थाना अहरौला आजमगढ़
4. मु0 अ0 स0 438/2022 धारा 380/411/414 भादवि थाना अहरौला आजमगढ़
5. मु0 अ0 स0 439/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अहरौला आजमगढ़
6. मु0 अ0 स0 101/2025 धारा 303(2)/317(2)/318(4) बीएनएस थाना कन्धरापुर आजमगढ़

7. मु0 अ0 स0 280/2024 धारा 317(2)/331(4)/305 बीएनएस थाना कप्तानगंज आजमगढ़
8. मु0 अ0 स0 305/2024 धारा 305ए/317(2)/324(4)/331(4) बीएनएस थाना कप्तानगंज आजमगढ़
9. मु0 अ0 स0 332/2024 धारा 303(2)/317(2)बीएनएस थाना कप्तानगंज आजमगढ़
10. मु0 अ0 स0 32/2026 धारा 123/304 बीएनएस थाना कप्तानगंज आजमगढ़
11. मु0अ0 स0 33/2026 धारा 331(4)/305 बीएनएस थाना कप्तानगंज आजमगढ़
12. मु0 अ0 स0 20/26 धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस थाना अहरौला आजमगढ़
13. मु0 अ0स0 35/2026 धारा 3(5)/109(1)बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना कप्तानगंज आजमगढ़

आनन्द उर्फ बाबी पुत्र हनुमान निषाद, निवासी ग्राम डाही शम्भूपुर, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 23 वर्ष।

1. मु0 अ0 स0 453/2021 धारा 328/379/411 भादवि थाना अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर
2. मु0 अ0 स0 32/2026 धारा 123/304 बीएनएस थाना कप्तानगंज आजमगढ़
3. मु0 अ0स0 35/2026 धारा 3(5)/109(1)बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना कप्तानगंज आजमगढ़

अमन निषाद पुत्र दशमी निषाद, निवासी ग्राम अलौवा, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 20 वर्ष।

01. मु0अ0 स0 33/2026 धारा 331(4)/305 बीएनएस थाना कप्तानगंज आजमगढ़
2. मु0 अ0स0 35/2026 धारा 3(5)/109(1)बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना कप्तानगंज आजमगढ़
3. मु0 अ0 स0 20/26 धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस थाना अहरौला आजमगढ़

मुठभेड़ में शामिल पुलिस टीम का विवरण :-

01. श्री जय प्रकाश – थानाध्यक्ष, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़
02. उ0नि0 विवेक कुमार – थाना कप्तानगंज
03. उ0नि0 ओम प्रकाश दूबे – थाना कप्तानगंज
04. का0 विनोद कुमार यादव – थाना कप्तानगंज
05. का0 बृजेश गौड़ – थाना कप्तानगंज
06. म0का0 शीलम यादव – थाना कप्तानगंज
07. का0 अमन चौधरी – थाना कप्तानगंज
08. का0 विकास प्रजापति – थाना कप्तानगंज
09. का0 प्रमोद कुमार – थाना कप्तानगंज
10. का0 अप्पू कुमार – थाना कप्तानगंज

प्रेस नोट
थाना-जीयनपुर, जनपद – आजमगढ़

साइबर फ्रॉड के कुल ₹15,000/- रुपये पीड़िता के खाते में वापस कराया गया।

घटना का सक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 13.10.2025 को थाना जीयनपुर क्षेत्र निवासी एक महिला के साथ फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर अश्लील वीडियो देखने के नाम पर ₹15,000/- का साइबर फ्रॉड किया गया था। पीड़िता द्वारा इस संबंध में NCRP पोर्टल पर शिकायत पंजीकृत कराई गई थी।

कार्यवाही का विवरणः-

उक्त शिकायत पर त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना जीयनपुर की स्थानीय साइबर क्राइम टीम द्वारा प्रभावी तकनीकी प्रयासों के माध्यम से पीड़िता के साथ हुए साइबर फ्रॉड की धनराशि ₹15,000/- सफलतापूर्वक वापस कराई गई।

नागरिकों से अपीलः-

जनपद पुलिस द्वारा आमजन से अपील की जाती है कि किसी भी संदिग्ध कॉल, वीडियो कॉल अथवा फर्जी अधिकारी बनकर डराने-धमकाने की स्थिति में घबराएं नहीं तथा तुरंत 1930 हेल्पलाइन या NCRP पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं।

साइबर टीम का विवरणः-

01. उ0नि0 श्री विश्वजीत पाण्डेय, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़
02. का0अ0 शहादत अंसारी, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़
03. का0 अजय पाठक, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक – 29.01.2026
थाना – अहरौला, जनपद आजमगढ़
युवती को बहला-फुसलाकर भगाने व दुष्कर्म करने के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 06.12.2025 को थाना अहरौला पर एक युवती के घर से चले जाने एवं वापस न आने के संबंध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 428/2025 अंतर्गत धारा 87/69/115(2)/351(3) बीएनएस में विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त अभिषेक कुमार का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 29.01.2026 को उ0नि0 नितेश कुमार चौबे द्वारा पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में चेकिंग/तलाशी के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त अभिषेक कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार, निवासी – ग्राम मुडियार, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र – लगभग 21 वर्ष को बरसातीगंज पुल के पास से समय 10.35 बजे नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

01. अभिषेक कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार, निवासी – ग्राम मुडियार, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र – लगभग 21 वर्ष

पंजीकृत अभियोगः-

01. मु0अ0सं0 428/2025, धारा 87/69/115(2)/351(3) बीएनएस, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

- उ0नि0 नितेश कुमार चौबे,थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़
- हे0का0 विमलेश तिवारी,थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़
- हे0का0 राकेश सिंह,थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट

थाना– बरदह, जनपद आजमगढ़

किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने व शारीरिक शोषण करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 11.01.2026 को वादी द्वारा थाना बरदह पर सूचना दी गई कि दिनांक 10.01.2026 को उनकी नाबालिग पुत्री प्रातः लगभग 07:30 बजे विद्यालय जाने हेतु घर से निकली थी, परंतु विद्यालय नहीं पहुँची। खोजबीन के दौरान ज्ञात हुआ कि एक युवक द्वारा उसे बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया है।

प्राप्त सूचना के आधार पर थाना बरदह पर मु0अ0सं0 11/26 धारा 137(2)/87 बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

दिनांक 27.01.2026 को अपहृता की सकुशल बरामदगी की गई। पीड़िता के बयान के आधार पर अभियोग में धारा 65(1) बीएनएस तथा धारा 5(एल)/6 पाक्सो अधिनियम की वृद्धि की गई।

गिरफ्तारी का विवरण—

आज दिनांक 29.01.2026 को उ0नि0 उमेश चन्द्र यादव मय हमराह द्वारा अभियुक्त रीतिक डावला पुत्र बबलू (विकाश) निवासी— वार्ड संख्या 46/62, धानक मोहल्ला, इंदिरा चौक थाना— जवाहर नगर, जनपद— श्रीगंगानगर (राजस्थान) को समय लगभग 11:30 बजे चौकी मोड़ क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

रीतिक डावला पुत्र बबलू (विकाश) निवासी— वार्ड संख्या 46/62, धानक मोहल्ला, इंदिरा चौक थाना— जवाहर नगर, जनपद— श्रीगंगानगर (राजस्थान)

आपराधिक इतिहास—

मु0अ0सं0 11/26 धारा 87, 137(2), 65(1) बीएनएस एवं 5(एल)/6 पाक्सो अधिनियम थाना— बरदह, जनपद— आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम—

1. उ0नि0 उमेश चन्द्र यादव, थाना बरदह, आजमगढ़
2. मुख्य आरक्षी धर्मेन्द्र यादव, थाना बरदह, आजमगढ़

प्रेस विज्ञप्ति
थाना– सरायमीर, जनपद आजमगढ़
छिनैती की घटना का सफल अनावरण, दो अभियुक्त मोबाइल सहित गिरफ्तार

पूर्व की घटना/संक्षिप्त विवरण—

वादी मुकदमा श्री विनय प्रताप यादव पुत्र रामअवध यादव निवासी ग्राम समसुद्दीनपुर, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना सरायमीर पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 25.01.2026 को समय लगभग 19:20 बजे वह संजरपुर बाजार से सरायमीर की ओर पैदल जाते हुए मोबाइल फोन पर बात कर रहा था। इसी दौरान अंगेठी ढाबा के पास पीछे से मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा **छिनैती** कर उसका मोबाइल फोन छीन लिया गया तथा मौके से फरार हो गए।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0 28/2026 धारा 304 बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। साथ ही सीईआर पोर्टल के माध्यम से मोबाइल नंबर को ट्रेस पर लगाया गया।

गिरफ्तारी का विवरण—

आज दिनांक 29.01.2026 को मुखबिर खास से प्राप्त सूचना एवं सीईआर पोर्टल के माध्यम से मोबाइल ट्रेसिंग के आधार पर प्रकाश में आए अभियुक्तों को समय लगभग 11:56 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी एवं बरामदगी की कार्यवाही के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

बरामदगी—

1 अदद मोबाइल फोन (VIVO V20)

प्रकाश में आए गिरफ्तार अभियुक्त—

1. राजू बनवासी पुत्र महेन्द्र बनवासी, निवासी रिवा बंभनगांव, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 26 वर्ष
2. राजमन पुत्र महेन्द्र बनवासी, निवासी रिवा बंभनगांव, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 22 वर्ष

पंजीकृत अभियोग—

मु0अ0सं0 28/2026, धारा 304 बीएनएस, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम—

1. उ0नि0 प्रशान्त सिंह, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़
2. का0 संजीव कुमार यादव, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़
3. हे0का0 राकेश उपाध्याय, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़
4. का0 मुन्दन कुमार, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़
5. हे0का0 ओमकार, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़